नियम 37 : प्रतिफल के असंदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय की वापसी

1[(1) कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवा या दोनों की किसी आवक प्रदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है, उन आपूर्तियों के अलावा जिन पर कर रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है, लेकिन उसके आपूर्तिकर्ता को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है 2[चाहे पूर्ण रूप से या भागतः], तो वह उस पर संदेय कर सहित बीजक के जारी किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के ठीक पश्चात् वाली कर अवधि में, ऐसी आपूर्ति 3[, प्रदायकर्ता को भुगतान न की गई रकम के अनुपात में] के संबंध में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान 4[या उत्क्रम] धारा 50 के तहत् उस पर देय ब्याज के साथ प्ररूप जीएसटीआर–3(ख) में करेगाः

परंतु उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई प्रदाय का मूल्य, धारा 16 की उपधारा 1 के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगाः

परंतु यह और कि धारा 15 की उपधारा 2 के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जोड़ी गई किसी रकम के मुद्दे प्रदायों के मूल्य को धारा 16 की उपधारा 2 के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

"(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवा या दोनों की किसी आवक प्रदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है, किन्तु धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर उस पर संदेय कर सहित ऐसी प्रदाय के मूल्य का उसके प्रदायकर्ता को संदाय करने में असफल होता है, बीजक के जारी किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के ठीक पश्चात् वाले मास के लिए, ऐसी प्रदाय, संदत्त नहीं किए गए मूल्य की रकम प्रदायकर्ता को संदत्त नहीं की गई ऐसे रकम के अनुपात में उपभोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम के ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर–2** में देगा :

परन्तु उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई प्रदाय का मूल्य, धारा 16 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा।

A[**परन्तु** यह और कि धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जोड़ी गई किसी रकम के मद्दे प्रदायों के मूल्य को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा।]

A. अधिसूचना क्रमांक 26/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.06.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट इनपुट कर प्रत्यय की रकम को उस मास के लिए, जिसमें ब्यौरे दिए गए हैं, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा।"

2 अधिसूचना क्रमांक 26/2022–केन्द्रीयकर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)

3 अधिसूचना क्रमांक 26/2022–केन्द्रीयकर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)

4 अधिसूचना क्रमांक 26/2022–केन्द्रीयकर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)

(2) जहां उक्त पंजीकृत व्यक्ति बाद में इस तरह की आपूर्ति के मूल्य की राशि का भुगतान उसके आपूर्तिकर्ता को देयकर के साथ करता है, वह उपनियम 1 में निर्दिष्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का पुनः लाभ उठाने का हकदार होगा।]

(3) [5][……...]

(4) धारा 16 की उपधारा (4) मे विनिर्दिष्ट समय–सीमा अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार किसी ऐसे प्रत्यय का पुनः उपभोग करने के लिए लागू नहीं होगी, जिसे पूर्व में वापस कर दिया गया था।

---

[5] अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा उप–नियम (3) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

"(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी प्रदाययों पर प्रत्यय का उपभोग करने की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि से उपनियम (2) में यथा उल्लिखित आउटपुट कर दायित्व में जोड़ी गई रकम के संदाय करने की तारीख तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित दर से ब्याज कर संदाय करने का दायी होगा।"